

in their respective States. The Central Government have been asking State Governments to take suitable action, as and when cases of indiscriminate felling of trees come to their notice.

Implementation of Land Reforms

143. SHRI RAJESH KUMAR SINGH: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government of India have made any assessment recently

about the progress made in land reforms in various States of the country; and

(b) if so, details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) and (b). The progress in the implementation of land reform measures in various States is reviewed regularly. A statement giving State-wise progress in implementation of revised ceiling laws is appended.

Statement

(Area in acres)

State/Union Territory	Area declared surplus under revised ceiling laws	Area taken possession of under revised ceiling laws	Area distributed under revised ceiling laws	
			Area	No. of beneficiaries
I	2	3	4	5
Andhra Pradesh	8,79,601	4,44,874	3,15,568	2,15,377
Assam	5,84,592	5,07,186	3,21,886	2,53,513
Bihar	2,37,590	1,47,643	1,41,867	1,56,802
Gujarat	1,46,510	62,058	8,093	1,973
Haryana	28,231	19,192	19,092	5,534
Himachal Pradesh	94,187	93,371	3,344	4,362
Jammu & Kashmir
Karnataka	2,82,078	1,21,536	69,833	14,885
Kerala	1,22,802	81,047	53,198	86,207
Madhya Pradesh	2,56,666	1,42,973	82,072	32,651
Maharashtra	3,70,193	2,81,586	2,81,586	76,892
Manipur	1,029	36
Orissa	1,97,821	1,22,092	1,03,974	79,343
Punjab	46,616	16,260	12,926	3,067
Rajasthan	2,61,976	2,35,894	1,30,938	28,490

I	2	3	4	5
Tamil Nadu	81,134	77,781	60,649	40,881
Tripura	1,827	1,623	1,210	1,047
Uttar Pradesh	2,84,215	2,61,885	2,33,921	1,90,844
West Bengal	1,64,767	1,12,818	62,460	1,76,461
Dadra & N.H.	8,958	6,079	3,378	1,484
Delhi	722	374	437	..
Pondicherry	2,560	1,046	906	1,012
TOTAL	39,94,075	27,37,354	19,07,275	13,70,825

**मत्स्य पालन विकास एजेन्सी कार्यक्रम पर
राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान
परिषद् का प्रतिवेदन**

144. श्री कुम्भा राम आर्य : क्या शृङ्खि मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने मत्स्य पालन विभाग एजेन्सी कार्यक्रम के मूल्यांकन पर अपना प्रतिवेदन कब पेश किया था ;

(ख) प्रतिवेदन में की गई मुख्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) सिफारिशों पर क्या कार्यवाही को जा रही है ?

शृङ्खि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने “मछुआ विकास एजेन्सी कार्यक्रम के मूल्यांकन” से सम्बन्धित अपनी अंतिम रिपोर्ट नवम्बर, 1980 में पेश की।

(ख) रिपोर्ट में निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें हैं :—

(1) प्रत्येक मछुआ विकास एजेन्सी में एक डिपोना फार्म का प्रावधान।

(2) सम्पूर्ण देश में जल क्षेत्रों को पट्टे पर देने के लिये समान नीति अपनाना।

(3) सभी राज्य सरकारों को मछुआ विकास एजेन्सियों द्वारा व्यवस्था किये गये संस्थागत ऋणों की जिम्मेदारी लेना।

(4) आदानों को खरीदने के लिये सहायता के विवाहान स्तर (1250 रुपये प्रति हेक्टार) को बढ़ाकर कम से कम 2000 रुपये प्रति हेक्टार करना।

(5) डिपोना पर राजसहायता की विद्यमान दर (25 प्रतिशत) से बढ़ाकर चालू परियोजनाओं पर दी जाने वाली राज सहायता के बराबर करना।

(6) मछुआ प्रशिक्षणार्थियों की दिये जाने वाले दैनिक भत्ते में वृद्धि।

(7) पकड़ी गई मछलियों के सम्बन्धित विपणन के लिये प्रत्येक मछुआ विकास एजेन्सी में मत्स्य विपणन समितियों का संगठन।

(8) मछुआ विकास एजेन्सी की स्थापना की मूल लागत राज्य सरकारें बहन कर सकती हैं।